राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ12(156)/विविध–स/आयो/आकाशि/2016/2009–13 दिनांक 29 अगस्त, 2019

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– दिव्यांग विद्यार्थियो हेतु व्हील चेयर उपलब्ध करवाने बाबत।

संदर्भ :– उपायुक्त, विशेष योग्यजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान का पत्रांक 720–21 दिनांक 10.7.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत नवीन दिव्यांगजन अधिकार विधेयक–2016 के अनुसार दिव्यांगजनो के सुगमता पूर्वक आवागमन हेतु राज्य के सभी सरकारी महाविद्यालयों में अनिवार्य रूप से व्हीलचेयर की व्यवस्था की जानी है।

अतः उक्त विषयक संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय में दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है। अतः आप स्थानीय भामाशाह/दानदाताओं के सहयोग से अथवा महाविद्यालय में उपलब्ध कोष से नियमानुसार व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपर्युक्तानुसार

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1 निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।
2 उपायुक्त, विशेष योग्यजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान,जयपुर जी–3/1 अम्बेडकर भवन, होटल राजमहल रेजिडेन्सी एरिया जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 720–21 दिनांक 10.7.2019 के संदर्भ में।
3 समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को सूचनार्थ।
4 प्रभारी वेबसाइट, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

दीपाली भार्गव

(डॉ. दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा राज.,जयपुर

राजस्थान सरकार
न्यायालय आयुक्त विशेष योग्यजन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन (विस्तार), होटल राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर

क्रमांक: एफ1 ( ) IDA/आयु.वियो.जन./19/ 721–21 दिनांक 10/07/19

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा विभाग,
जयपुर।

विषयः– राजस्थान के सभी सरकारी महाविद्यालयों में अनिवार्य रुप से दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु व्हील चेयर उपलब्ध करवाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री वैभव भण्डारी अधिवक्ता, 67 आर्दश नगर पाली राजस्थान ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि राजस्थान के अधिकाश सरकारी महाविद्यालयों में प्रतिदिन अध्ययन करने आने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को रैम्प तथा व्हील चेयर नहीं होने पर तथा कक्षा परिसर दूर होने के कारण दिव्यांगजनों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। अतः अधिवक्ता ने नवीन दिव्यांगजन अधिकार विधेयक 2016 के अनुसार दिव्यांगजनों के सुगम्य पूर्व आवागमन हेतु राज्य के सभी सरकारी महाविद्यालयों में अनिवार्य रुप से व्हील चेयर उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया है। ताकि विशेष योग्यजनों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पडे।

अतः निर्देशानुसार उक्त प्रार्थना पत्र की छायाप्रति सलंग्न कर आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें व की गई कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावे।

भवदीय

उपायुक्त विशेष योग्यजन
राजस्थान

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

दिनांक

क्रमांक: एफ1 ( ) IDA/आयु.वियो.जन./19/
प्रतिलिपिः– श्री वैभव भण्डारी अधिवक्ता, 67 आर्दश नगर पाली राजस्थान को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त विशेष योग्यजन
राजस्थान

Scanned by CamScanner